

14-11-19

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षी सं. 01 से 03 की ओर से जवाबदाता प्रस्तुत किया जिसे शा. प. किया जाकर एक जति वकील प्रार्थीगण को दिलायी गई, जवाबदाता वकालत नामे के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। काले पत्रावली में विपक्षी सं. 4, 5, 6 व 8 के विरुद्ध आग्रिम कार्यवाही एवं विपक्षी सं. 01 के सम्मन वासील हेतु जितने सम्मन पेश होने व प्रतियोगी सं. 01 लगातार 03 के अतिक्रमण भूलवाटपण में पेश होने पत्रावली दिनांक 23-1-20 को पेश ही

23-1-20

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
जतः पत्रावली दिनांक 7-2-20 को पेश हो।

सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-2-20

पत्रावली पेश हुई, विपक्षी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित, वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित, वकील प्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण वकील प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भ्रम धपरी / भ्रम पैरवी में श्वारीज किया जाता है। पत्रावली फौजदार हुंकार करल वादपण के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

